न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 297/दो/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 18.01.2006 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 155 अ–6/2001–02 अपील

श्रीमती चमेली वाई (मृतक) पत्नि रामगोपाल लखेरा
वारिसान
1– कृष्णकुमार पुत्र गोपाल प्रसाद लखेरा
2– शिवकुमार पुत्र गोपाल प्रसाद लखेरा
3– कुन्दनलाल पुत्र नन्हेलाल लखेरा
4– बाबूलाल पुत्र नन्हेलाल लखेरा
चारों निवासी 150 सराफा दरहाई जबलपुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

चमरूलाल (मृतक) पुत्र दरवारीलाल
वारिस
1– श्रीमती सुभद्रावाई पत्नि चमरूलाल
2– नन्दकिशोर(मृतक) पुत्र चमरूलाल
वारिस
(अ) श्रीमती रामावाई पत्नि स्व.नंदकिशोर
(ब) रबी पुत्र स्व.नंदकिशोर
(स) सुश्री रजनी पुत्री स्व.नंदकिशोर
3– रामस्वरूप पुत्र चमरूलाल
4– संतोष पुत्र चमरूलाल
सभी निवासी ग्राम विलपुरा तहसील
एंव जिला जबलपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री टी0सी0लखेरा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सतीश श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 15 – 10 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 155 अ–6/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.01.2006 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि श्रीमती चमेली वाई (मृतक) पत्नि रामगोपाल लखेरा ने तहसीलदार जबलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम विलपुरा स्थित खसरा नंबर 153 रकबा 0.146 हैक्टर, खसरा नंबर 154 रकबा 0.182 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) शासकीय अभिलेख में महिला मनकीवाई पत्नि स्व. नन्हेलाल लखेरा के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही है जिनके पुत्र कुन्दनलाल, गोपालप्रसाद एंव बाबूलाल लखेरा हैं जिनमें गोपाल प्रसाद की मृत्यु वर्ष 1990 मे हो गई है जिनके पुत्र कृष्णकुमार एंव शिवकुमार है अतः तद्नुसार फोती नाम दुरूस्त किये जावें। तहसीलदार जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 106 अ-6/99-2000 दर्ज किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 18.7.2001 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर दुरूस्ती एंव नामान्तरण करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 95 अ-6/ 2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-11-2001 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 155 अ-6/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.01.2006 से अपील स्वीकार की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि

यह सही है कि वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1974-75 के पूर्व महिला मनकी वाई पत्नि स्व. नन्हेलाल लखेरा के नाम दर्ज रही है किन्तु नायव तहसीलदार जबलपुर के आदेश दिनांक 30.9.75 से वादग्रस्त भूमि पर चमरूलाल पुत्र दरवारीलाल (अब मृतक) का नामांत्रण हुआ है और जब तक नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.9.1975 किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं होता है वादग्रस्त भूमि चमरूलाल पुत्र दरवारीलाल (अब मृतक) के नाम दर्ज रहेगी, उसकी मृत्यु उपरांत उसके वारिसान को जायेगी, किन्तु तहसीलदार जबलपुर ने आदेश दिनांक 18.7.2001 पारित करते समय एंव अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर ने आदेश दिनांक 7-11-2001 पारित करते समय इस तथ्य की अनदेखी की है जिसके कारण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने विचारण न्यायालय एंव प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है।

5/ तहसीलदार जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 106 अ-6/ 99-2000 में पारित आदेश दिनांक 18.7.2001 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने वादग्रस्त भूमि पर महिला मनकी वाई पत्नि स्व. नन्हेलाल लखेरा के नाम की वर्ष 1974-75 के पूर्व से चली आ रही प्रविष्टि को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 सहपठित 110 के अंतर्गत कार्यवाही विचारित कर दिनांक 30.9.1975 से वादग्रस्त भूमि पर चमरूलाल पुत्र दरवारीलाल के नाम की प्रविष्टि को हटाकर आवेदकगण के नाम करने का आदेश पारित किया है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.9.1975 से वादग्रस्त भूमि पर चमरूलाल पुत्र दरवारीलाल के नाम किये गये

नामान्तरण की प्रविष्टि को संहिता की धारा 115 के अंतर्गत तहसीलदार दुरूस्त करने के लिये सक्षम हैं जबकि नायव तहसीलदार का नामान्तरण आदेश अपील योग्य हो ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 115 – पूर्व पीठासीन अधिकारी व्दारा भूमि पर किया गया नामांत्रण – वर्तमान पदस्थ पीठासीन अधिकारी धारा 115 के अंतर्गत लिपिकीय त्रृटि मानकर दुरूस्त नहीं कर सकता।

इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर ने प्रकरण कमांक 155 अ–6/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.01.2006 से तहसीलदार जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.7.2001 एंव अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–2001 को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 155 अ–6/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.01.2006 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर